एंटी-डंपिंग ड्यूटी

प्रिलिम्स के लिये:

एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन।

मेन्स के लिये:

एंटी-डंपिंग ड्यूटी (एडीडी) से संबंधित डब्ल्यूटीओ के प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतियोगिता में एडीडी का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिशों के अनुसार, भारत ने कुछ एल्युमीनियम वस्तुओं और रसायनों सहित पाँच चीनी उत्पादों पर पाँच वर्ष के लिये एंटी डंपिंग ड्यूटी **Anti-Dumping Duty- ADD** लगाई है।

- डीजीटीआर ने निष्कर्ष निकाला है कि इन उत्पादों को भारतीय बाज़ारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाज़ारों को नुकसान हुआ है।
- अप्रैल-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान चीन में भारत का निर्यात 12.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि आयात 42.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिससे **30.07 बिलियन** अमेरिकी **डॉलर** का व्यापार घाटा हुआ है।

व्यापार उपचार महानिदेशालय:

- यह सभी डंपिंग-रोधी, काउंटरवेलिंग शुल्क और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिये**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण** है।
- यह **घरेलू उद्योग और निर्यातकों** को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किये गए व्यापार उपायों की जाँच के बढ़ते मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

- **डंपिंग:**
  - डंपिंग का अभिप्राय **किसी देश के निर्माता द्वारा उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात** करने से है।
  - यह एक **अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव** पड़ सकता है।
- **डंपिंग-रोधी शुल्क (एडीडी) का उद्देश्य:**
  - एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने हेतु लगाया जाता है।
    - लंबी अवधि में एंटी-डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को कम कर सकती है
  - यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर इस विश्वास के साथ लगाती है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।
  - विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग-रोधी उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई है।
- **काउंटरवेलिंग ड्यूटी से भिन्न:**
  - ADD आयात पर एक सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन सामानों पर सीमा शुल्क है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है।
- **डंपिंग-रोधी शुल्क से संबंधित WTO के प्रावधान:**

- **वैधता:** एक एंटी-डंपगि शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध होता है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता है।
- **सूर्यास्त की समीक्षा:** इसे सूर्यास्त या समाप्ति समीक्षा जाँच के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
  - एक सूर्यास्त समीक्षा/समाप्ति समीक्षा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के निरंतर अस्तित्व हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन है। यह कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है।
  - इस तरह की समीक्षा स्वप्रेरणा या घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से प्राप्त विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर शुरू की जा सकती है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/anti-dumping-duty-6